

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

दावा पत्र संख्या :- 01/2024

- 1- ऐजनबाई पिता बरदाजी जाति भील निवासी बस्सी फतेहपुर पो० सामरियां तह० बेगू
2- मांगीबाई पिता बरदाजी जाति भील निकासी बस्सी फतेहपुर पी० सामरियां तह० बेगू वादीगण

----- बनाम -----

- 1- घीसीबाई पुत्री प्यारा जाति भील निवासी बस्सी फतेहपुर पी० सामरियां तह० बेगू
2- भेरू पिता प्यारा जाति भील निवासी बस्सी फतेहपुर पो० सामरियां तह० बेगू
3- रोडीबाई पत्नि प्यारा जाति भील निवासी बस्सी फतेहपुर पो० सामरियां तह० बेगू
4- घापू पत्नि बरदा जाति भील निवासी बस्सी फतेहपुर पो० सामरियां तह० बेगू
5- देवा पुत्र बालू जाति भील निवासी बस्सी फतेहपुर पो० सामरियां तह० बेगू
6- गीता पुत्री नन्दा जाति भील निवासी बस्सी फतेहपुर पो० सामरियां तह० बेगू
7- नाराण पुत्र बालू जाति भील निवासी बस्सी फतेहपुर पो० सामरियां तह० बेगू
8- भंवरलाल पुत्र बालू जाति भील निवासी बस्सी फतेहपुर पो० सामरियां तह० बेगू
9- लीला पुत्री बालू जाति भील निवासी बस्सी फतेहपुर पो० सामरियां तह० बेगू
10- हीरा पुत्र बालू जाति भील निवासी बस्सी फतेहपुर पो० सामरियां तह० बेगू
11- भूमिधारी तहसीलदार सा० बेगू
12- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जिला चित्तौडगढ़ प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ०धा० 53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र सिंह की उपस्थिति तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री..... की अनुपस्थिति में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 11.12.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगू के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज० काश्त० अधि० का स्वीकार किया जाता है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा बस्सी फतेहपुर हल्का शादी की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

- 1- श्रीमति एजनबाई 1/2, मांगीबाई 1/2, पिता बरदा भील सा.देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
404 मेसे	0.1323
419 मेसे	0.1810

कीता- 02 0.3133 हैक्टर

- 2- श्री भेरू 1/3, घीसीबाई 1/3, पिता प्यारा, रोडीबाई पति प्यारा भील 1/3 सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
404 मेसे	0.1323
419 मेसे	0.1810

कीता- 02 0.3133 हैक्टर


- 3- श्री देवा 1/6, नाराण 1/6, भंवरलाल 1/6, पिता बालू, हीरा 1/6, लीला 1/6 पिता बालू, गीता 1/6 पुत्री नन्दा भील सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
404 मेसे	0.1324
419 मेसे	0.1810

कीता- 02 0.3134 हैक्टर

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।


यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 11.12.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।


(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू

कमांक/सरिस्ता/2025/

दिनांक:-

प्रतिलिपि तहसीलदार बेगू को अंतिम आदेश की प्रति वास्ते पालना भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता हैकि उक्तानुसार पालना कर पालना रिपोर्ट करें।


सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगू